प्रेस विज्ञप्ति

13.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6.15 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। जांच के अनुसार, निम्नलिखित इमारतों का निर्माण अपराध की आय (पीओसी) हुआ ऐसा पाया गया है और इसलिए उन्हें कुर्क किया गया है: -

- **कांग्रेस भवन, सुकमा**, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम पर।
- **कवासी लखमा** के नाम पर रायपुर में एक आवासीय मकान;
- **हरीश कवासी** (कवासी लखमा के पुत्र) के नाम पर सुकमा में एक आवासीय घर;

ईडी ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले के मामले में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा शराब घोटाले से हर महीने 2 करोड़ रुपये प्राप्त कर रहे थे और इस तरह 36 महीनों में 72 करोड़ रुपये का पीओसी प्राप्त किया। जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए, जिससे पता चला कि कवासी लखमा ने उपरोक्त संपत्तियों के निर्माण में नकदी का उपयोग किया है। 68 लाख रुपये की नकदी का उपयोग सुकमा में कांग्रेस भवन के निर्माण में किया गया, 1.40 करोड़ रुपये का उपयोग हरीश लखमा के घर के निर्माण में और 2.24 करोड़ रुपये का उपयोग रायपुर में उनके अपने घर के निर्माण में किया गया। कवासी लखमा वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी की जांच में पता चला है कि 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और पूर्वनिर्धारित अपराधों के कमीशन से 2161 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की पीओसी उत्पन्न हुई।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त कुर्की लगभग 205 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की पिछली कुर्की के क्रम में है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।